124/25 SCST

स्टेट बनाम खरताराम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.09.2025 | विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण खरताराम, पूनाराम, प्रताप, कनाराम, लखमा, डूंगाराम, मिकाराम बर मय अधिवक्ता श्री हर्षवर्धनसिंह राठौड उपस्थित।<br><br>गवाह पी.डब्ल्यू 20 प्रेमराज के बयान लेखबद्ध किए गए, अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं। गवाह संख्या 22 जयपाल सिंह राठौड, एसडीएम का जमानती वारण्ट इस रिपोर्ट के साथ अदम तामील लौटा है कि "उनका स्थानान्तरण कुम्भलगढ़ से जोधपुर होने से समयाभाव के कारण व कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने से" उक्त गवाह को जरिए टेलीफोन व व्हाट्सअप सूचित किया गया। अतः उक्त गवाह संख्या 19 व 22 को पुनः जरिए जमानती वारण्ट 2000/- तलब किए जावे। चूंकि यह प्रकरण राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लक्षित प्रकरणों की सूची कमांक 26 पर लम्बित है। तामील आवश्यक रूप से विशेष वाहक द्वारा करवाने का नोट अंकित किया जावे।<br><br>पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 06.10.2025 को पेश हो।<br><br>विशिष्ट न्यायाधीश<br>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित<br>जन जाति (अ.नि.) प्रकरण<br>राजसमन्द | खरताराम<br>प्रताप<br>कनाराम<br>डूंगाराम<br>पूनाराम<br>मीकाराम<br>लखमा |